न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 4245 / 2006 / करौली

1— अजीराम पुत्र मिश्रीलाल
2— चन्द्रकला पुत्री मिश्रीलाल जाति जाट निवासी खेड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1— पार्वती पत्नी रघुवीर सिंह
2— ओमप्रकाश पुत्र रघुवीर सिंह
3— ईश्वर सिंह पुत्र रघुवीर सिंह
4— मदन गोपाल पुत्र रघुवीर सिंह
5— ओमवती पुत्री रघुवीर सिंह
6— प्रेमवती पुत्री रघुवीर सिंह
7— श्यामबिहारी पुत्र रघुवीर सिंह
8— सीता देवी पुत्री रघुवीर सिंह
समस्त जाति जाट निवासी खेड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली।
9— दामोदर पुत्र रामजीलाल मृतक जरिये वारिसानः—
9 / 1 भगवानी पत्नी दामोदर
9 / 2 नरेन्द्र सिंह पुत्र दामोदर
9 / 3 हरेन्द्र पुत्र दामोदर
जाति जाट निवासी खेड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली।
9 / 4 हिर्देश पुत्री दामोदर पत्नी जैनू, जाति जाट, निवासी शेरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली।
10— महादेवी पत्नी रामजीलाल (नाम तर्क)
11— सावो पुत्री रामजीलाल
12— सन्तो पुत्री रामजीलाल
समस्त जाति जाट निवासी खेड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली।
13— हेमो पुत्री रामजीलाल जरिये मृतक वारिसानः—
13 / 1 भैरूसिंह पुत्र शिवसिंह
13 / 2 विष्णु पुत्र शिवसिंह
जाति जाट निवासी खेड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली।
13 / 3 वर्षा पुत्री शिवसिंह पत्नी विक्रम
13 / 4 ऋतु पुत्री शिवसिंह पत्नी भीमसिंह
जाति जाट निवासी करसाड़ा, तहसील बयाना जिला भरतपुर।

14— बीनू पुत्री रामजीलाल
15— भौती पुत्री रामजीलाल
16— मंजू पुत्री रामजीलाल
समस्त जाति जाट निवासी खेड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली।
17— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डौन जिला करौली।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड—पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :—

श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा , विद्वान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण।

श्री एन.के.गोयल , विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थीगण।

निर्णय **दिनांक 25—10—2024**

1— यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28—03—2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पो0 के पिता रघुवीरसिंह ने प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण के पिता मिश्रीलाल एवं वादीगण/रेस्पो0 संख्या 9 लगायत 16 के पिता रामजीलाल के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 125 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् खातेदारी घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती इन्द्राज न्यायालय उप जिला कलक्टर करौली के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम खेडा साबिक खसरा नंबर 182 रकबा 07 बिस्वा वादीगण/रेस्पो0 व प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण की खातेदारी की थी जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा पैतृत संपत्ति का व शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का खरीद शुदा है। इस प्रकार वादी उसमें 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 2/3 हिस्सा के हिस्सेदार हो गए। विवादित खसरा नंबर 182 वादी के साबिक नंबर

184 की पश्चिमी मेड व प्रतिवादी संख्या 2 के साबिक नंबर 180 व 181 की पूर्वी मेडों के बीच स्थित है, जिसका हाल बंदोबस्त संवत 2047–66 में वादी के खसरा नंबर 184 में से बने खसरा नंबर 343 में मिन 7 बिस्वा दर्ज करते हुए शामिल करवा दिया है और वाद की साबिक खसरा नंबर खाता 281 को, जिसमें साबिक खसरा नंबर 184 सम्मिलित था, तोड़ कर अलग–अलग दो खाते कायम कर दिए गए हैं। खसरा नंबर 343 हाल बंदोबस्त का अलग खाता नंबर 220 कायम कर उसमें वादी का 56/63 हिस्सा दर्शा कर वादी व प्रतिवादी नंबर 01 व 02 का हिस्सा 7/63 दर्शाए जाने के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 02 का हिस्सा 1/2 और दर्शाया है। इसी प्रकार वादी के अन्य खसरा नंबरान का, जो साबिक खाता नंबर 281 में था, से बनाए गए हाल खसरा नंबर का अलग से खाता संख्या 21/218 कायम कर दिया है। सेटलमेंट को इस प्रकार फेर–बदल करने का कोई अधिकार नहीं था। वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 2/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा अंकित होना चाहिए था, किन्तु चूकि अपने जीवनकाल में वादी व प्रतिवादीगण 01 व 02 का पिता साबिक खसरा नंबर 182 रकबा 07 बिस्वा के 1/2 भाग को वहामी बंटवारा में वादी को दे गया था और तभी से वादी काबिज है। इस प्रकार वादी 1/2 का खातेदार है और प्रतिवादी 1/2 का खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 का कोई लेना–देना नहीं है। वादी ने यह भी जाहिर किया कि अलग बटा नंबर डालकर नक्शा बनाने में कोई परेशानी आती है तो ऑल्टरनेटिवली वादी को प्रतिवादी नं 02 के हॉल खसरा नंबर 341 व 342 में 7 बिस्वा में से 1/2 भाग के अनुपात से कुल रकबा के 5/68 हिस्सा का शरीक खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। उक्त के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम करते हुए दिनांक 06–01–2004 को वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया गया। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 28–03–2006 को खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय

न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से परे है। विवादित भूमि पर कभी भी वादीगण/रेस्पो0 का कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादीगण/रेस्पो0 ने खसरा नंबर 182 का 1/2 भाग पारिवारिक विभाजन में दिया जाना बताया है, जबकि पारिवारिक विभाजन तहसीलदार द्वारा एवं धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदान नहीं किया गया था। खसरा नंबर 343 रकबा 0.83 ऐयर किस्म चाही प्रथम ग्राम खेडा में वादीगण/रेस्पो0 के पिता व पति मृतक रघुवीरसिंह का हिस्सा 56/63 है। वह अपीलार्थीगण/प्रतिवादी का खरीदशुदा हिस्सा 1/2वां पैतृक संपत्ति में हिस्सा रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 8 के पति व पिता रघुवीरसिंह व रेस्पो0 नंबर 9 लगायत 16 के पिता व अपीलार्थी का 1/2 में यानी इसी नंबर में 1/6 रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 8 व 1/6 हिस्सा 9 लगायत 16 का है। इस प्रकार अपीलार्थी का इस जमीन में 2/3 हिस्सा है जो साबिक खसरा नंबर 182 मिन से 7 बिस्वा का बनाया है, जो रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी में 7/63 वां हिस्सा दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संयुक्त खातेदारी के खसरा नंबर 343 में से अपीलार्थी नंबर 2 मिश्रीलाल का नाम हटा कर संपूर्ण आराजी का खातेदारान रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 8 को घोषित कर राजस्व नक्शे में तरमीम करने का आदेश प्रदान कर दिया। खसरा नंबर 343 में जो 7/63 हिस्सा अपीलार्थी एवं रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 16 को जो संयुक्त खातेदारी का है, जो पुराने खसरा नंबर 182 मिन रकबा 7 बिस्वा से बना कर सेटलमेंट विभाग ने नवीन खसरा नंबर 343 में शामिल किया है, उस पूर्ण 7 बिस्वा को अधीनस्थ न्यायालय ने कहां व किस नंबर में मिलाया है और कहां तरमीम करने के आदेश प्रदान किए हैं यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है। वादीगण/रेस्पो.0 मृतक रघुवीरसिंह के वादपत्र में आराजी खसरा नंबर 343 अपने पूर्व साबिक खसरा नंबर 184 से बनना बताया है, उस हिसाब से खसरा नंबर साबिक 190 को भी जोड़ कर खसरा नंबर 184 व 190 मिल कर मिलान क्षेत्रफल के हिसाब से रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा बनता है जो करीब 70 एयर के करीब होता है तथा खसरा नंबर 182 मिन जो रकबा 7 बिस्वा है, उसको अगर अलग हटाया जावे तब भी रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 8 को 70 ऐयर का खातेदार काश्तकार घोषित करना चाहिए था, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 8 को 83 ऐयर का खातेदार घोषित कर दिया गया, जो विधिविरूद्ध है। साबिक खसरा नंबर 180,

181, 190, 184 के बीच के अंदर जो खसरा नंबर 182 राजस्व नक्शे में दर्शाया गया है, उसे सेटलमेंट विभाग ने खसरा नंबर 343 के अंदर 182 मिन मिला कर 343 बनाया है। यह सारा 07 बिस्वा का रकबा वर्तमान खसरा नंबर 343 के अन्दर सेटलमेंट ने मिलाया है, जो नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकार्ड से साबित है। खसरा नंबर 341 साबिक खसरा नंबर 180 मिन व 182 मिन व 181 को मिला कर कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा अपीलार्थी/प्रतिवादीगण नं 2 की खातेदारी में दर्ज किया है जो रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 8 के रकबा 343 से 5 बिस्वा कम है। इससे स्पष्ट होता है कि साबिक खसरा नंबर 182 का मिन रकबा 7 बिस्वा जो वर्तमान जमाबंदी खसरा नंबर 343 के अन्दर रेस्पो0 की खातेदारी के साथ संयुक्त 7/63 हिस्सा दर्ज किया है वह बिल्कुल सही है। वह 7 बिस्वा जमीन खसरा नंबर 343 के अन्दर मिली हुई है। इस जमीन से वादीगण/रेस्पो0 का कोई भी हक एवं अधिकार नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए वादीगण/रेस्पो0 का वाद नियमों के विरूद्ध स्वीकार कर डिक्री किया है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाये। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने 1993 आरआरडी पेज 246, 2003 आरबीजे पेज 176, 2011 आरआरटी(2) पेज 1149 हैडनोट(B), 2003 आरआरटी (1) राज. पेज 107 (HC), 2019 आरबीजे पेज 101(SC), 1993 आरआरडी पेज 246 हैडनोट (B) के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

4— विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में कहा कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है। आराजी खसरा नंबर 182 रकबा 7 बिस्वा मिश्रीलाल हिस्सा 1/2, रामजीलाल, मिश्रीलाल, रघुवीरसिंह पि0 नोबत हिस्सा 1/2 का रहा है। इस प्रकार से यह आराजी पैतृक आराजी रही है। जमाबंदी संवत 2038—41 में इस प्रकार के अंकन किए गए हैं। पक्षकारान एक ही परिवार के होने से पारिवारिक बंटवारे में वादी को इस नंबर में 1/2 भाग दिया गया,, जिसकी पुष्टि प्रतिवादी रामजीलाल ने अपने जवाबदावे में की है। परीक्षण न्यायालय ने सही माना है कि भू—प्रबंध ने गलत कार्यवाही कर मिलान क्षेत्रफल बनाया है। प्रकरण में राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना में मौका कमिश्नर द्वारा मौके पर

जा कर पैमाइश की है, जिसमें खसरा नंबर 180 लगायत 184 हाल नंबर 340 लगायत 343 की नाप की गई है। भू–प्रबंध ने जो हाल रिकार्ड बनाया है उसमें साबिक के अनुरूप अंकन नहीं कर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर राजस्व रिकार्ड व नक्शाशीट में अंकन किए हैं। वादी/रेस्पो0 का 7 बिस्वा यानी 9 एअर का हिस्सा 1/6 अंकित करना चाहिए था, जिसमें रामजीलाल द्वारा अपने हिस्से को वाहमी बंटवारे में 1/2 को वादी को देना स्वीकार किया है। अतः स्पष्ट है कि हाला आराजी खसरा नंबर 343 पर, जो प्रतिवादी/अपीलार्थी के पक्ष में अंकन किए हैं, वे गलत प्रकार से हैं। वादी/रेस्पो0 साबिक के अनुरूप ही आराजी पर कब्जेकाश्त खातेदारी कर रहे हैं, जिसे भू प्रबंध ने गलत अंकन किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन उपरांत निर्णय पारित करते हुए वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है तथा अपीलीय न्यायालय ने भी इसका समर्थन करते हुए अपीलार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया है। इस प्रकार दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है और अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसमें अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील खारिज की जावे ।

5– उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

6– पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी/रेस्पो0 के पिता द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 न्यायालय उप–जिला कलक्टर करौली के समक्ष विवादित आराजी के संबंध में पेश किया, जिसे उपजिला कलक्टर ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुए निर्णय दिनांक 06–01–04 द्वारा डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 28–03–06 से खारिज होने पर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के निस्तारण हेतु तनकी संख्या

1 महत्वपूर्ण है, क्योंकि वादी का वाद इसी आधार पर पेश किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 इस प्रकार कायम की हैः–

''आया विवादित आराजी दर्ज वादपत्र मद नंबर 1 वादी व प्रतिवादी नंबर 1 व 2 संयुक्त खातेदारी की पैतृक संपत्ति है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है। वादी अपने हिस्से 1/2 की खातेदारी घोाषणा अपने नाम कराने का अधिकारी है।''

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी के पैतृक होने के संबंध में नकल जमाबन्दी पेश की। प्रकरण में राजस्व मण्डल द्वारा आराजी खसरा नंबर 182 के संबंध में मौका पर्चा रिपोर्ट बनाने हेतु निर्देश दिए थे, उसके अनुसार मौका रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डौन द्वारा पर्चा मौका पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट, जो प्रदर्श–13 है, से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नंबर 182 वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की थी, जो हाल खसरा नंबर 341 में 1/2 व 343 में 1/2 दर्ज हो चुका है। मौके पर आराजी खसरा नंबर 182 की 1/2–1/2 भूमि खसरा नंबर 180 व 184 में मिली हुई है एवं रघुवीर सिंह एवं अजीराम के कब्जेकाश्त में होना मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित है। विवादित खसरा नंबर 182 रकबा 7 बिस्वा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 6 हाल खसरा नंबर 341 व 343 में शामिल हो गया है, लेकिन अलग–अलग रकबा दर्ज नहीं होने से यह साबित नहीं हो सकता कि कितना रकबा किसमें शामिल किया गया है। पूर्व रिकार्ड में वादी का खसरा नंबर 182 रकबा 7 बिस्वा में 1/6 हिस्सा अंकित है, जिसका लगभग 1 बिस्वा बनता है। इसके अतिरिक्त शामलाती खसरा नंबर 180 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा में वादी का 1/6 हिस्सा है, जिसका 8 बिस्वा रकबा बनता है एवं पूर्व रिकार्ड में खसरा नंबर 184 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा रकबा तथा खसरा नंबर 190 रकबा 2 बिस्वा का संपूर्ण हिस्सा भी वादी की खातेदारी में दर्ज था। इस लिहाज से वादी को पूर्व की तुलना में 3 बीघा 5 बिस्वा रकबा मिलना चाहिए था, जो लगभग 83 एयर होता है। तहसीलदार हिण्डौन द्वारा मौका रिपोर्ट प्रदर्श 13 में भी खसरा नंबर 343 रका 83 एयर अंकित किया है, जो वादी के कब्जेकाश्त में बताया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि वादी उक्त खसरे की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। इसी आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में

निर्णीत की है। विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्यों का विश्लेषण करते हुए तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की है तथा इसी आधार पर तनकी संख्या 2, 3 व 4 भी वादीगण के पक्ष में निर्णीत की गई है। वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जो वादकारण प्रस्तुत किए गए थे, प्रतिवादीगण द्वारा उनके जवाब में कोई साक्ष्य–सबूत पेश नहीं किए गए। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद सिद्ध होने की स्थिति में अपीलार्थी / प्रतिवादी की प्रथम अपील निरस्त करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री से सहमति जताई है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य हस्तगत अपील से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

7– उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय उपजिला कलक्टर ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम करते हुए विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण द्वारा निर्णय दिनांक 06–01–04 से डिक्री पारित करने में तथा योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 28–03–06 से योग्य विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करने में कोई विधि या तथ्य संबंधी भूल कारित नहीं की है। उक्त दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें ऐसी कोई विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि प्रकट नहीं हैं, जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8– परिणामतः हस्तगत अपील सारहीन होने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख इस न्यायालय की निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य